

नम्बर व  
अहकामों  
हुक्म की  
में जारी

मुकेश बनाम अरूण वगै०  
मु०नं० 4/2019  
दावा अ०धा० 53, 188

दिनांक -13.02.2020 वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रतिवादी द्वारा ऐतराज विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की मौजूदगी में तैयार किया गया है। अतः दर० ऐतराज खारिज किये जाते है। विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिकी किया जाता है। विवादित भूमि ख.नं. 833/345 रकबा 1.31 है० वाके ग्राम लीखवा का-तहसीलदार सूरजगढ़ के पत्रांक भू.अ./2016/2 दिनांक 03.01.2020 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिकी मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

(अभिलाषा)  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरजगढ़  
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

